जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक प.3(22)जविप्रा/आरएमएण्डसी/एएचपी/2019/डी– 170 दिनांक : 14/11/2019

सार्वजनिक सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना–2015 (शहरी) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के पट्टेधारियों को ''लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Beneficiary led Individual House Construction and enhencenent)'' के लिए अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 09.07.2019 के अनुसार प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के तहत स्वंय की भूमि पर नवीन आवास निर्माण अथवा अभिवृद्धि हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 1,50,000/– तक का अनुदान देय है। अनुदान प्राप्ति हेतु लाभार्थियों की पात्रता निम्न प्रकार है :–

(i) आवेदन की सालाना आय राशि रू. 3.00 लाख तक होनी चाहियें।

(ii) आवेदक का सम्पूर्ण भारत में कही पर भी पक्का आवास ना हो।

(iii) भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।

(iv) आवेदक के स्वयं के नाम भूखण्ड/पट्टा के दस्तावेज होने चाहिए।

(v) यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है (विवाहित अथवा अविवाहित) तथा स्वयं के नाम भूखण्ड नही है तो वह माता–पिता या सास–ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है।

(vi) आवेदक विवाहित है तो स्वंय का आधार कार्ड व पति/पत्नी का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि अविवाहित/विधवा है तो परिवार के किसी भी एक सदस्य का कोई भी पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

(vii) नवीन आवास निर्माण की स्थिति में 30 मीटर कॉरपेट एरिया का आवास निर्माण आवश्यक है, जिसमें दो कमरें, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर का समावेश अनिवार्य है।

(viii) यदि 30 मीटर कारपेट एरिया आवास निर्माण हेतु भूमि का क्षैत्रफल कम है तो आवेदक दो मंजिला आवास निर्माण के लिये आवेदन कर सकता है, जिससे प्रथम तल व उपरी तल का कुल कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर हो सके।

(ix) यदि आवेदक पूर्व में निर्मित पक्के आवास में अभिवृद्धि करना चाहता है तो पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कारपेट एरिया 21 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा अभिवृद्धि में कम से कम एक कमरे का निर्माण होना आवश्यक है।

(x) उक्त BLC गठक में अनुदान प्राप्त करने हेतु EWS आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होगें।

(xi) व्यक्तिगत आवासो की प्रगति का पता भू–चिन्हित geo-tagging छांया प्रति के माध्यम से लगाया जायेगा।

(xii) आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अन्तर्गत समय–समय पर जारी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावेगा।

(xiii) भारत सरकार द्वारा पात्र आवेदकों को देय अनुदान राशि SUBSIDYस्वीकृत होन के पश्चात नये निर्माण होने की स्थिति में प्लीन्थ निर्माण पर 60,000/– रूपये प्रथम मंजिल की छत पश्चात रूपये 60,000/– एवं आवास पूर्ण निर्माण होने के पश्चात राशि रूपये 30,000/– सीधे ही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर (हस्तांतरित) की जायेगी। निर्माण प्रगति भुवन एप से मॉनिटर की जावेगी।

(xiv) लाभार्थी जविप्रा की वैबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर दिनांक 18.11.2019 से 17.12.2019 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है अथवा लाभार्थी आवेदन पत्र भरवाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में भी एक विशेष काउण्टर की स्थापना की गयी है। जिस पर लाभार्थी आवेदन फार्म साफ्ट कॉपी में गुरूवार दिनांक 18.11.2019 से दिनांक 17.12.2019 तक प्रातः 10 बजे से सॉयकाल 5:00 बजे तक वांछित सूचना उक्त केन्द्र पर साथ लाकर निशुल्क भरे जावेगें।

(XV) आवेदकों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के बाद एक प्रिन्ट लेकर प्रति पर आवेदक की फोटो लगाकर एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र बी.एल.सी. प्रकोष्ठ, कमरा नम्बर–CBBV बेसमेंट, नागरिक सेवा केन्द्र, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, राम किशोर व्यास भवन, जेडीए सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर 302004 पते पर डाक से अथवा उक्त प्रति प्रातः 10 बजे से सांयकाल 05 बजे तक जविप्रा परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्र पर भी जमा करवा सकते है।

आवेदक आवेदन हेतु कैम्प में निम्न दस्तावेज साथ लावेः–

1. प्राधिकरण की येाजना में आवंटित भूखण्ड के समस्त मूल दस्तावेज साथ लावें।
2. आवेदक स्वयं, पति, पत्नी एवं आश्रित का आधार कार्ड साथ लावें।
3. आवेदक का वर्तमान फोटो एवं स्वयं के मोबाईल नम्बर का विवरण लावे।
4. ऐसा बैंक खाता जो कि आवेदक के आधार कार्ड से लिंक हो, की पास बुक।
5. मौजूदा रिहायशी पक्का इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में) की गणना
6. नया आवास निर्माण की स्थिति में प्रस्तावित आवास का कॉरपेट क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
7. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि एवं कॉरपेट क्षेत्रफल का विवरण साथ लावें (एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से)
8. आवेदक यदि बीपीएल है तो बीपीएल मूल कार्ड।

-Sd-
(अर्चना सिंह)
सचिव
जविप्राा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-2560585} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7113}:
ई-मेल : {**girirajagrawal.jda@rajasthan.gov.in**}